भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2051
11 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः-भूमिहीन किसानों की पहचान के लिए राष्ट्रीय नीति

2051. श्री जी. कुमार नायकः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय किसान नीति उन व्यक्तियों को किसान के रूप में मान्यता देती है जिनके पास भू-स्वामित्व नहीं है;

(ख) क्या प्रधानमंत्री किसान लाभ भू-स्वामी किसानों तक ही सीमित है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस योजना का लाभ अन्य मानदण्डों को पूरा करने वाले गैर-भू-स्वामी किसानों को भी दिया जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति के अनुसार, "किसान" शब्द का अर्थ ऐसा व्यक्ति है जो फसल उगाने और अन्य प्राथमिक कृषि वस्तुओं के उत्पादन की आर्थिक और/या आजीविका गतिविधि में सक्रिय रूप से शामिल है और इसमें सभी कृषि परिचालन धारक (ऑपरेशनल होल्डर्स), कृषक, कृषि मजदूर, बटाईदार, किरायेदार, कुक्कुट पालक और पशुपालक, मछुआरे, मधुमक्खी पालक, माली, पशुपालक, गैर-कॉर्पोरेट बागान मालिक और रोपण मजदूर, साथ ही रेशम उत्पादन, कृमिपालन और कृषि वानिकी जैसे विभिन्न कृषि-संबंधी व्यवसायों में लगे व्यक्ति आते हैं। इस शब्द में आदिवासी परिवार/स्थानांतरित खेती और लघु एवं गैर-लकड़ी (नॉन-टिंबर) वन उपज के संग्रह, उपयोग और बिक्री में लगे व्यक्ति भी शामिल हैं।

(ख) से (ग): पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने फरवरी 2019 में भूमि-धारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया था। इस योजना के तहत, किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ अंतरित किया जाता है।

किसान-केंद्रित डिजिटल इनफ्रास्ट्रक्चर ने यह सुनिश्चित किया है कि इस योजना का लाभ देश भर के सभी किसानों तक बिना किसी बिचौलिए की भागीदारी के पहुंचे। लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने शुरुआत से अब तक 19 किस्तों के माध्यम से 3.68 लाख करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि का संवितरण किया है।

फिलहाल पीएम-किसान योजना में भूमिहीन किसानों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****